न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 06 / 2025

दायर दिनांक: 07.01.2025

उनवान

1. फुलचन्द पि. उदेराम जाति कुल्मी (पाटीदार) नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
2. गिरराज पि. उदेराम जाति कुल्मी (पाटीदार) नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
3. बनवारीलाल पि. उदेराम जाति कुल्मी (पाटीदार) नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्यामसिंह पि. दरयावसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
2. रुघनाथसिंह पि. बालसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
3. होकमसिंह पि. बालसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
4. कुलराजसिंह नाबा.पि. हिम्मतसिंह संरक्षक सरपरस्त माता सिंटूकुंवर जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
5. निशाकुंवर पुत्री हिम्मतसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
6. बुलबुल नाबा.पुत्री हिम्मतसिंह संरक्षक सरपरस्त माता सिंटूकुंवर जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
7. महेन्द्रसिंह पि. दरयावसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
8. सज्जनबाई पत्नी स्व० दरयावसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
9. सिंटूकुंवर पत्नी स्व० हिम्मतसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
10. हीनाकुंवर पुत्री हिम्मतसिंह जाति राजपूत नि. सेमलीखाम तहसील रायपुर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह० रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 [illegible]0टी0एक्ट0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति विद्वान अभिभाशक :–
प्रार्थीगण – श्री विनोद शर्मा
अप्रार्थी सं. 1 से 10 – एकतरफा

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी सं. 11 – पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनाकः 18.08.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम सेमलीखाम पटवार हल्का सेमलीखाम तह० रायपुर जिला झालावाड़ राज. की जमाबन्दी 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 110 पुराना 94 के खसरा नं. 55/815 रकबा 1.5049 है० व खसरा नं. 640 रकबा 0.9485 है। कुल किता 2 कुल रकबा 2.4534 है० में प्रार्थीगण का सम्पूर्ण हिस्सा निहित है। यह कि प्रार्थना पत्र में खसरा नं. 55/815 की आराजी 1.5049 है0 आराजी के लिए नया रास्ता स्वीकृत चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पेश है। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 55/815 जो प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नं. 1 श्यामसिंह के पिता दरयावसिंह से 40–45 साल पूर्व खरीद की थी और यह आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी में है। इस आराजी पर आने–जाने का सुगम रास्ता सेमलीखाम से गरवाड़ा सड़क से पश्चिम दिशा की ओर खसरा नं. 57 होकमसिंह व रुघनाथसिंह की दक्षिणी मेड़ से होते हुए खसरा नं. 57/814 श्यामसिंह व अप्रार्थीगण के खेत में होते हुए खसरा नं. 54 अप्रार्थीगण की दक्षिणी मेढ़ से होते हुए प्रार्थीगण अपने खसरा नं. 55/815 पर जाते है जहां पर अप्रार्थीगण रोक अवरोध उत्पन्न करते है और यह आराजी प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से 40–45 वर्ष पूर्व खरीद की थी। इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। यह कि प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी पर आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है प्रार्थीगण को कृषि कार्य करने के ट्रेक्टर–ट्रोली, बेल–गाड़ी आदि निकालने में समस्या आ रही है। यह कि प्रार्थीगण की आराजी पर आने–जाने का रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और मौके पर इसके अलावा कोई वैकल्पिक (Alternative) रास्ता नहीं है ना ही स्वीकृत रास्ता है। [illegible] के संबध में प्रार्थी की आवश्यकता अत्यंत आवश्यकता है [illegible] सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है (The neccesity is absolute neccesity and is

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

not for mere covenien enjoyment of holding) अप्रार्थीगण के द्वारा रास्ता रोकने से भी प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर आने–जाने की परेशानी खड़ी हो गयी है। यह कि प्रार्थीगण को अपनी आराजियात पर जाने–आने के लिए 12 फीट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है। जिससे प्रार्थीगण अपने ट्रक ट्रेक्टर–ट्रोली, बेल–गाड़ी, मशीन व कृषि सामान इत्यादि लाने–ले–जाने में उपयोग हो सके है। यह कि प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले में प्रतिकर के रुप में मुआवजे के बदले प्रतिकर के रुप में मुआवजे के बदले निर्धारित (नियमानुसार) राशी भूगतान करने के लिए तैयार है। यह कि प्रार्थीगण ने उक्त संबंध में हल्का पटवारी व कानूनगों को रास्ता खुलासा करवाने हेतु कहा तो उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणा– क्षेत्राधिकार का होकर उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजियात ग्राम सेमलीखाम पटवार हल्का सेमलीखाम तह० रायपुर जिला झालावाड़ राज. की जमाबन्दी 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 110 पुराना 94 के खसरा नं. 55/815 रकबा 1.5049 है० पर आने–जाने का रास्ता 12 फीट चौड़ाई का अप्रार्थीगण के खसरा नं. 57 की दक्षिणी मेड़, खसरा नं. 57/814 के खेत से व खसरा नं. 54 की दक्षिणी मेड़ से होकर खसरा नं. 55/815 पंहुचने के लिए रास्ता स्वीकृत किया जावे। रास्ता भूमि राजस्व अभिलेख में श्रास्ताश अभिलिखित किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थीगण के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 10 के बावजूद सूचना अनुस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 17.02.2025 को अप्रार्थी सं. 1 से 10 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रार्थीगण की ओर से ग्राम सेमलीखाम का खाता सं. 110 की जमाबंदी सं. 2075–78 की नकल, खसरा नक्शा दिनांक 03.01.2025, नजरी नक्शा दिनांक 03.01.2025 पेश किया।

4. पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/2025/109 दिनांक 03.02.2025 भू.अभिलेख निरीक्षक दुबलिया की मौका रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है–

ग्राम सेमलीखाम के आराजी ख.न. 55/815 रकबा 1.5043 है. भूमि के मौके पर पहुंचा जिसके राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजी ख.न. 55/815 ग्राम सेमलीखाम की आराजी खाता सं. 110 खातेदार गिर्राज पि. उदेराम कुल्मी हि. 1/3, फूलचन्द पि. उदेराम हि. 1/3 बनवारीलाल पि. उदेराम कुल्मी हि. 1/3 सा.देह खातेदार के खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी खातेदारान के द्वारा वर्तमान में ग्राम सेमलीखाम के ख.न. 57, 57/814 व ख.नं. 54 मे होकर प्रार्थी के खाते की भूमि ख.नं. 55/815 मे आने जाने हेतू रास्ता चाहा गया है। वर्तमान मे आराजी ख.न. 54 रकबा 0.8852 है. भूमि खातेदार रघुनाथसिंह, होकमसिंह पि. बालसिंह जाति राजपूत सा.देह के खातेदारी में दर्ज है। वक्त जमाबंदी सेग्रीगेशन ऑनलाईन नक्शे व मौका का मिलान नही होता है। मुताबिक नक्शा लड्ठा वादीगण ख.न. 53 व 54 की तरमीम शुद्धि योग्य है। प्रार्थी आराजी ख.नं. 53 की दक्षिणी मेड व आराजी ख.न. 57/814 की दक्षिणी व पश्चिमी मेड के होकर रास्ता चाहता है। प्रतिवादी श्यामसिंह पि. दरयावसिंह वगै. ने मौके पर अवगत कराया कि ग्राम सेमलीखाम की आरानी ख. न. 45 व 45/1134 वादीगण के पिता उदेराम की खातेदारी में दर्ज है। वादी के पिता वर्षो वर्ष से आराजी ख.न. 40 किस्म गे.मु. रास्ता में होकर ख.न. 46 की उत्तरी मेड पर नाले के समीप आराजी ख.न. 45 व 45/1134 में पहुंचते है। वर्तमान में ख.न. 45 व 1154/45, 55/815 के मध्य खम्बे लगाकर तार बाउंड्री की हुयी है। वादीगण में अवगत करवाया कि समस्त [illegible] में प्रतिवादी 3 व 4 भी आराजी ख.न. 57, 57/814, 53 व 55/815 में [illegible] स्वयं की आराजी ख.न. 55 में आता जाता है जिसमे [illegible] प्रतिवादी को कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

आपत्ति नहीं है। वादी द्वारा चाहे गये रास्ते मे आराजी ख.न. 57 की दक्षिण मेड पर कुल लम्बाई 25 गठ्ठे व चौडाई 12 फिट यानि कुल 2475 वर्ग फिट (0.0229 है.), आराजी ख.न. 59/814 में दक्षिणी मेड पर 22 गठ्ठे (181.5 फिट) व 12 फिट चौडा यानि 2178 वर्ग फिट व पश्चिमी मेड पर 18 गठठे (313 फिट) लम्बाई व 12 फिट चौडाई यानि कुल 3756 फिट यानि कि आराजी ख.नं. 57/814 की कुल 0.0551 है. व आराजी ख.न. 53 की दक्षिणी मेड पर 82 गठठे लम्बाई (676 वर्ग फिट) व 12 फिट चौडाई कुल 0.0754 है. भूमि मे मु. रास्ता दर्ज किए जाने योग्य है। वैकल्पिक रास्ते में. ख.न. 46 की उत्तरी मेड पर 24 गठठे लम्बाई (198 वर्ग फिट) व 12 फिट चोडाई कुल 0. 0220 है० भूमि समर्पण योग्य है जिसके पश्चात वादीगण अपने खातेदारी की आराजी मे होकर स्वयं की खातेदारी भूमि ख.नं. 55/815 पर पहुँच सकते है।

1. प्रार्थी की भूमि. ख.नं. 55/815 तक पहुंच हेतू कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है।
2. प्रार्थी की आराजी तक पहुँच हेतू अन्य कोई वैकल्पिक प्रचलित रास्ता नहीं है।
3. प्रार्थी की भूमि आराजी ख.न 55/815 तक पहुंचने हेतू उक्त रिपोर्ट में न्यूनतम व चाहा गया वैकल्पिक का विवरण अंकित किया गया है।
4. नवीनतम डीएलसी दर की प्रति संलग्न है।

5. अभिभाषक प्रार्थीगण व पेराकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम सेमलीखाम तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.न. 55/815 रकबा 1.5043 है. तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपनी भूमि तक पहूँचने के लिए मुख्य डामर सडक जो ख.नं. 57 व 114 की शामलाती मेड से होकर गुजर रहा है, से होकर अप्रार्थीगण की सहमति से उनकी भूमि ख.नं. 57, 57/814 की दक्षिणी मेड से होकर ख.नं. 57/814 की पश्चिमी मेड के सहारे उत्तर की ओर चलकर ख.नं. 54 के दक्षिण मेड से होते हुए अपने खेत ख.नं. 55/815

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

तक पहूँचते आ रहे है। मौके पर आज भी अस्थायी रास्ते बना हुआ है लेकिन पिछले साल अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के उक्त अस्थायी रास्ते को बंद कर दिया गया है जिससे प्रार्थीगण का खेत पडत पडा हुआ है। प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक सडक भी उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में फसल नहीं बो पा रही है और मजबूरन भूमि पडौसी काश्तकारो को पांति/बंटाई पर देनी पड रही है जिससे प्रार्थीगण के लिए भरण पोषण की दिक्कते उत्पन्न हो रही है। अतः रास्ता प्रार्थीगण की नितान्त आवश्यकता है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की निजी भूमि से दिए जाने वाले रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि का भी नियम अनुसार भुगतान करने के लिए तत्तपर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपनी आराजी तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.न. 57, 57/814 व ख.नं. 54 की दक्षिणी मेड के सहारे कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु 12 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे।

6. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर की बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थिगण के आराजी ख. न. 55/815 रकबा 1.5043 है. पर आने–जाने का रास्ता मुख्य सडक से होते हुए ख.न. 57, 57/814 व ख.नं. 54 की दक्षिण मेड से होते हुए प्रार्थिगण पूर्व से ही आते–जाते रहे थे परन्तु वर्तमान में यह रास्ता अप्रार्थीगण ने अवरूद्ध कर दिया और इस रास्ते के अलावा प्रार्थिगण के पास आने–जाने का एक अन्य वैकल्पिक रास्ता ख.नं. 46 की उत्तरी मेड से होकर ख.नं. 1134/45 की उत्तरी पूर्वी मेड से होकर ख.नं. 45 की उत्तरी मेड से होते हुए है लेकिन उत्तर में सरकारी नाला ख.नं. 47 होने से बरसात के दिनो में अधिक पानी आने से रास्ता बंद हो जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अतः प्रार्थिगण के ख.न. 55/815 रकबा [illegible] पर आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के ख.न. 57, 57/814 व ख.नं. 5[illegible] की दक्षिण मेड से नया रास्ता दिया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

7. अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:–

(i) **रिकार्डेड पहूँच मार्ग** – प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार दोनो इस कथन पर सहमत है कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम सेमलीखाम तहसील रायपुर के ख. न. 55/815 रकबा 1.5043 है. तक पहूँच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई भी पहूँच मार्ग दर्ज नहीं है। ग्राम ग्राम सेमलीखाम के लटठा नक्शा व आन लाईन नक्शे के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है।

(ii) वैकल्पिक रास्ता नहीं होना – अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार रायपुर द्वारा भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में पहूँच हेतु ख.नं. 46 की उत्तरी मेड से होकर ख.नं. 1134/45 की उत्तरी पूर्वी मेड से होकर ख.नं. 45 की उत्तरी मेड से होते हुए एक वैकल्पिक रास्ता बताया है लेकिन उत्तर में सरकारी नाला ख.नं. 47 होने से बरसात के दिनो में अधिक पानी आने से रास्ता बंद हो जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु साल भर के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना साबित होता है।

(iii) रास्ते की अति आवश्यकता होना– उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु ना तो कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता है और ना ही बरसाती मौसम के दौरान कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध है। यह भी सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की [illegible] रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरुद्ध [illegible] आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण [illegible] सकती है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

गई है। अतः साबित होता है कि प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।

(iv) लघुतम रास्ता होनाः– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, खसरा नक्शा के अवलोकन एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट पत्र कमांक/राजस्व/2025/109 दिनांक 03.02.2025 से जाहिर है कि लघुत्तम रास्ता ख.न. 57, 57/814 व ख.नं. 54 की दक्षिण मेड के सहारे होगा जिसकी लम्बाई तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ख.न. 57 की दक्षिण मेड पर 25 गठ्ठे लंबा, ख.न. 57/814 में दक्षिणी मेड पर 22 गठठे लंबा व पश्चिमी मेड पर 38 गठठे लंबा व ख.न. 54 की दक्षिणी मेड पर 82 गठठे लम्बा रास्ता अप्रार्थीगण की कब्जाकाश्त भूमि प्रार्थीगण के रास्ते के उपयोग में आएगी। प्रार्थीया द्वारा 12 फीट चौडा रास्ते का अनुतोष चाहा है जबकि कृषि उपकरण लाने व ले जाने के लिए 10 फीट चौडा रास्ता ही पर्याप्त होता है।

(v) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः–प्रार्थीगण अपनी आराजी ख.न. 55/815 रकबा 1.5043 है. तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की आने वाली कुल 8810 वर्ग फीट भूमि (ख.न. 57 की 2063 वर्ग फिट, ख. न. 57/814 में दक्षिणी मेड पर 1815 वर्ग फिट व पश्चिमी मेड पर 1485 यानि कुल 3300 फिट व ख.न. 54 आनलाईन नक्शा की दक्षिणी मेड पर 6765 वर्ग फीट) का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है। धारा 251 ए आर.टी.एक्ट में डीएलसी की दुगनी दर से या भूमि के बदले भूमि देने का प्रावधान है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेशण तथा तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 03.02.2025 के अनुसार ग्राम सेमलीखाम तहसील रायपुर की आराजी ख.न. 55/815 रकबा 1.5043 है. तक पहूँच हेतु नया रास्ते के संबंधस में प्राथीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी.एक्ट. न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेशण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट. आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट दिनांक 03.02.2025 के अनुसार ग्राम सेमलीखाम तहसील रायपुर की प्रार्थीगण की आराजी ख.न. 55/815 रकबा 1.5043 है. तक पहूँच हेतु रास्ते में उपयोग आने वाली अप्रार्थीगण की कुल 8810 वर्ग फीट भूमि (ख.न. 57 की 2062 वर्ग फिट, ख.न. 57/814 में दक्षिणी मेड पर 1815 वर्ग फिट व पश्चिमी मेड पर 1485 यानि कुल 3300 फिट व ख.न. 54 आनलाईन नक्शा की दक्षिणी मेड पर 6765 वर्ग फीट) की नवीनतम डीएलसी की दुगुनी दरो से क्षतिपूर्ति राशि का अप्रार्थीगण को भुगतान किये जाने एवं नवीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ते के ख.नं. का प्रथक से अंकन किया जावे। रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

18/8/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़ राज.

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner